प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

131 बिलाड़ा (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री अर्जुन लाल नवचौकियों के पास, खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जोधपुर

दिनांक: 03.12.2023

(हँसमुख कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी 13113नियादा(अस्त्री) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(उपखण्ड अधिराम् वृतंत्रिते वेण्डामिन्द्रेट, बिलाडा)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Rajasthan</u> from <u>131-Bilara (SC)</u> Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI ARJUN LAL

Navchoukiyon Ke Pas, Khariya Mithapur, Tehsil Bilara, District Jodhpur (Raj.) [sponsored by Bharatiya Janata Party] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: JODHPUR Date: 03-12-2023

(Hansmukh Kumar)

181 (st. vi.) lake state 1814 (st. vi.) lake

Legislative Assembly Constituency